महत्वपूर्ण/समयबद्ध/सर्वोच्च प्राथमिकता

फैक्स/ई-मेल

संख्याः- 3/2020/जी0आई0-187/छः-पु-5-2020-1(12)/2015

प्रेषक,

भगवान स्वरूप,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,

उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग-5 लखनऊ, दिनांकः 23 जून, 2020

विषयः-Alleged irregularities in the issuance of arms licenses on large scale in some parts of the country- regarding

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक श्री मुकेश मंगल, डायरेक्टर, आर्म्स एण्ड सिक्योरिटी, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-**V**-11026/98/2016-**Arms**, दिनांक 30.04.2020(छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त पत्र के माध्यम से देश के कुछ भागों में बड़े पैमाने पर बिना उचित सत्यापन किये शस्त्र लाइसेंस जारी करने की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराया गया है कि आयुध नियम, 2016 के नियम-15 के अनुसार सभी शस्त्र लाइसेंस के रिकार्ड एन0डी0ए0एल0 एलिस के पोर्टल पर दिनांक 29.06.2020 तक अपलोड करा दें। दिनांक 29.06.2020 के बाद बिना यू0आई0एन0 के शस्त्र लाइसेंस अवैध हो जायेंगे। आयुध अधिनियम, 1959 एवं आयुध (संशोधन) अधिनियम, 2019 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार ऐसे शस्त्र लाइसेंसी जिनके पास 03 शस्त्र दर्ज हैं, वे अपने तीसरे शस्त्र को दिनांक 13 दिसम्बर, 2020 तक जमा/सरेण्डर कर दें। उक्त के संबंध में जन जागरूकता हेतु स्थानीय स्तर पर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें। सभी लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि नये शस्त्र लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्र/अन्य सेवाओं के लिए आवेदन पत्र/आग्नेयास्त्रों के पृष्ठांकन आदि के लिए प्रार्थना पत्र एन0डी0ए0एल0 एलिस पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किये जायें। इस संबंध में किसी तरह की शिथिलता बरती जाती है तो उसे गम्भीरता पूर्वक लिया जायेगा। सभी लाइसेंसिंग प्राधिकारी जम्मू-कश्मीर से ट्रांसफर होकर उनके जनपद में दर्ज हुए शस्त्रों का आडिट करा लें। आयुध नियम, 2016 के अनुपालन में सभी आर्म्स डीलर्स का भौतिक सत्यापन कराये जाने के निर्देश भी दिये गये हैं। इस संबंध में शासनादेश संख्या-7/2019/जन-331/छः-पु-5-2019-800(02)/2019, दिनांक 22.08.2019 द्वारा दिशा-निर्देश दिये जा चुके

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

हैं। आर्म्स डीलर्स की दुकानों के भौतिक सत्यापन हेतु 02 माह का अभियान चलाकर दिनांक 25.08.2020 तक इसकी अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध करायी जाये।

3. उल्लेखनीय है कि यू0आई0एन0 विहीन शस्त्र लाइसेंस को एन0डी0ए0एल0 एलिस पोर्टल पर दिनांक 29.06.2020 तक अपलोड कराये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-जीआई-178/छः-पु-5-2020-1(12)/2015, दिनांक 28.01.2020 के माध्यम से पूर्व में निर्देश दिये जा चुके हैं, साथ ही आयुध अधिनियम, 1959 में किये गये संशोधनों का क्रियान्वयन कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या-2/2020/जीआई-174/छः-पु-5-2020-800(01)/2020, दिनांक 29.01.2020 के द्वारा भी निर्देश पूर्व में दिये जा चुके हैं।

4. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया श्री मुकेश मंगल, डायरेक्टर, आर्म्स एण्ड सिक्योरिटी, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अपने स्तर से तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
भगवान स्वरूप
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. श्री मुकेश मंगल, डायरेक्टर आर्म्स एण्ड सिक्योरिटी, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या-V-11026/98/2016-Arms, दिनांक 30.04.2020 के क्रम में।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
महेन्द्र प्रसाद भारती
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

No. 3636 /MS/GI/2020

CONFIDENTIAL
TIME BOUND

No. V-11026/98/2016-Arms
Government of India
Ministry of Home Affairs
(IS-1 Division / Arms Section)
*****

R. No. 94B, North Block, New Delhi
Dated: April, 2020

To,

The Chief Secretaries / Advisor to Administrators
All States / UTs

Sub: Alleged irregularities in the issuance of arms licenses on large scale in some parts of the country – regarding

Sir,

I am directed to inform that there have been instances of large number of arms licence issued by the licensing authorities in some parts of the country without proper verification, which may have serious implications inter-alia on the internal security of the country.

2. Kind attention is drawn towards Rule-15 of the Arms Rules, 2016 which mandates the licensing authorities to enter the records of all the arms licences in the NDAL-ALIS portal and the last date for such entries is 29.06.2020. Accordingly, all the licensing authorities may be advised to ensure uploading of all the legacy data in NDAL-ALIS portal for UIN generation by 29.06.2020 positively. A licence without UIN will be invalid after 29.06.2020 and the holder of such licences will be vulnerable for action under the Arms Act, 1959. It may be noted that, there will be no further extension of time in this regard. Extensive awareness generation may therefore be done amongst licence holders regarding the requirement of UIN generation.

3. Further, the third licensed firearm is also required to be deposited by the licensees by 13th December, 2020 under the recently amended provision of section 3 of the Arms Act, 1959 by the Arms (Amendment) Act, 2019. Awareness generation may also be done in this regard.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

Acs, गृह

No. 3836 ..../MS/GI/2020

08/06/20
(विजय भारद्वाज)

07/187/.../2020

CONFIDENTIAL
TIME BOUND

No. V-11026/98/2016-Arms

4. All licensing authorities be advised to accept applications for new licences or other allied services including endorsement of firearms only through NDAL-ALIS portal. Any laxity on this account may be viewed seriously as such issues may have serious implications on the internal security of the country.

5. All the licensing authorities may also be requested to carryout audit of all the cases wherein firearms have been transferred from J & K.

6. The Licensing Authorities should also carry out physical verification of the arms dealers for their compliance of the Arms Rules, 2016.

Yours faithfully,

30.04.2020
(Mukesh Mangal)
Director (Arms & Security)
Phone: 23092132

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।